न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पीपाड़ शहर (जोधपुर ग्रामीण) राज०

पीठासीन अधिकारी :– श्री दूदाराम हुड्डा आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 106/2024
जीसीएमएस नं. :– 2023/284

प्रार्थीगण :–
1. ओमनारायण पुत्र पनाराम
2. भंवरलाल पुत्र पनाराम
जातियान मेघवाल निवासीगण रियां तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण :–
1. खेताराम पुत्र घेंवरराम जाति मेघवाल निवासी रियां तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।
2. तहसीलदार, तहसील कार्यालय पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम</u>

उपस्थित अधिवक्ता :
श्री ओमप्रकाश कच्छावाह प्रार्थीगण की ओर से
श्री दीपक दवे अप्रार्थी सं. 1 की ओर से
अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर

दर्ज दिनांक :– 27.05.2024

''आदेश''

दिनांक : 08.08.2024

प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज. भू. राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश किया है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है कि ग्राम रियां तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में प्रार्थीगण की खातेदारी, कृषि भूमि खसरा नम्बर 938 क्षेत्रफल 2.9124 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम एवं अप्रार्थी संख्या एक की कृषि भूमि खसरा नम्बर 938/1 क्षेत्रफल 2.5564 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम भूमि आई हुई है जिसको आगे प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 938 व 938/1 पर प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या एक संलग्न नजरी नक्शे अनुसार मौके पर काबिज होकर शुरू से ही काश्त करते आये है। मूल खसरा नम्बर 938 की उत्तरी भाग की 2.5564 हैक्टेयर भूमि पर अप्रार्थी संख्या एक खातेदार काश्तकार की हैसियत से काबिज होकर काश्त कार्य करता आया है, तथा दक्षिणी भाग की 2.9124 हैक्टेयर भूमि पर प्रार्थीगण काबिज होकर काश्त कार्य करते आये है। संलग्न नजरी नक्शे में प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या एक के कब्जेकाश्त की भूमि को दर्शाया गया है। संलग्न नजरी नक्शे को प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग माना जावे। सेग्रीगेशन के समय राजस्व अधिकारियों की त्रुटिवश मौके पर कब्जेकाश्त अनुसार वादग्रस्त आराजी की तरमीम नहीं करके ऑनलाईन तरमीम करते समय नक्शे में गलत तरमीम की गई है जिसको प्रार्थीगण दुरूस्त करवाने के अधिकारी है। वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 938 व 938/1 ग्राम रियां से बगड़की जाने वाले आम रास्ता के चिपते पूर्वी तरफ आई हुई है। मूल खसरा नम्बर 938 के उत्तरी भाग में अप्रार्थी संख्या एक की वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 938/1 आई हुई है तथा दक्षिणी भाग में प्रार्थीगण की वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 938 आई हुई है जो संलग्न नजरी नक्शे में दर्शाई हुई है। उक्तानुसार राजस्व नक्शा दुरूस्त किया जाकर वादग्रस्त भूमि की तरमीम उक्तानुसार की जावे। अभी हाल ही में प्रार्थीगण को गलत तरमीम की जानकारी हुई है इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र तरमीम दुरूस्ती का श्रीमान् न्यायालय हाजा के समक्ष पेश है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर श्रीमान न्यायालय हाजा से विन्रम निवेदन है कि ग्राम रियां की राजस्व सीमा में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 938 व 938/1 की ऑनलाईन की गई तरमीम को निरस्त फरमाया जाकर, संलग्न नजरी नक्शे

8/8/24

Abb/ Case No/Year | Court Name & Place

अनुसार वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 938 क्षेत्रफल 2.9124 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 938/1 क्षेत्रफल 2.5564 हैक्टेयर की तरमीम करने हेतु तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेशित फरमावे।

हमने प्रार्थना पत्र को दिनांक 27.05.2024 दर्ज रजिस्टर किया । अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया गया । अप्रार्थी सं. 1 की ओर से अधिवक्ता दीपक दवे ने वकालतनामा प्रस्तुत किया गया और प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे अनुसार तरमीम दुरूस्त करने का निवेदन किया । अप्रार्थी सं. 2 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया हैं कि ग्राम रियां की सरहद में खसरा नम्बर 938 रकबा 2.9124 की खातेदारी प्रार्थीगण के नाम से हैं। तथा खसरा नम्बर 938/1 रकबा 2.5564 की खातेदारी अप्रार्थी के नाम से हैं। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण मौके पर वाद में पेश किये गये नजरी नक्शे अनुसार काबिज हैं। ऑनलाईन के दौरान तरमीम में अशुद्धि सेवन से होगयी तथा वर्तमान तरमीम का नक्शा पेश किया तथा सही तरमीम मौके के अनुसार नजरी नक्शा पेश किया एवं अन्त में निवेदन किया है कि खातेदारान प्रार्थीगण व अप्रार्थी दोनो सहमत है अतः प्रस्तावित नजरी नक्शे के अनुसार तरमीम शुद्ध करने की अभिशंषा की जाती हैं।

हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओ को सुना, अप्रार्थी सं. 2 के जवाब का अवलोकन, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया प्रार्थना पत्र के साथ पेश नजरी नक्शे का अवलोकन किया एवं अप्रार्थी सं. 2 के जवाब के साथ पेश नक्शे का अवलोकन किया । वर्तमान नक्शे अनुसार प्रार्थीगण की भूमि नक्शे अनुसार सड़क के सहारे की हुई हैं। लेकिन प्रार्थीगण ने मौके पर कब्जे अनुसार ही तरमीम करने का निवेदन किया हैं। प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 1 न्यायालय में उपस्थित होकर तरमीम दुरूस्त करने हेतु सहमत हैं।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेशित किया जाता है कि नायब तहसीलदार पीपाड़ शहर राजकीय पेरोकार द्वारा पेशं नजरी नक्शा अनुसार ग्राम रियां में स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 938 व 938/1 की तरमीम दुरूस्त की जावें। इस आशय की तहरीर जारी हों।

(दूदाराम)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

आदेश आज दिनांक 08.08.24 को सर–ए–इजलास सुनाया गया ।

(दूदाराम)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर